

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

(फरवरी-मार्च, 2013 सत्र)

(18 फरवरी 2013 से 22 मार्च, 2013 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अन्तिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

विभाग का नाम (1)	प्रभारी मंत्री (2)	उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक (3)	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अन्तिम दिनांक (4)
---------------------	-----------------------	---	---

वर्ग-1

वित्त	वित्त मंत्री		
योजना, आर्थिक और सांख्यिकी वाणिज्यिक कर	— ”—	19 फरवरी, 2013	11 फरवरी, 2013
सामाजिक न्याय	सामाजिक न्याय मंत्री	27 फरवरी, 2013	19 फरवरी, 2013
पंचायत और ग्रामीण विकास	— ”—	06 मार्च, 2013	27 फरवरी, 2013
परिवहन	परिवहन मंत्री	13 मार्च, 2013	06 मार्च, 2013
जल	— ”—	20 मार्च, 2013	13 मार्च, 2013
श्रम	श्रम मंत्री		
गृह	गृह मंत्री		

(1)	(2)	(3)	(4)
बर्ग-2			
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री		
नर्मदा धारी विकास	— "—		
विमानन	— "—		
आयुष	— "—		
जन शिक्षायत निवारण	— "—		
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	— "—	20 फरवरी, 2013	12 फरवरी, 2013
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री	28 फरवरी, 2013	20 फरवरी, 2013
आवास और पर्यावरण (आवास को छोड़कर)	— "—	07 मार्च, 2013	28 फरवरी, 2013
वन	वन मंत्री	14 मार्च, 2013	07 मार्च, 2013
चिकित्सा शिक्षा	चिकित्सा शिक्षा मंत्री	21 मार्च, 2013	14 मार्च, 2013
संसदीय कार्य	संसदीय कार्य मंत्री		
विधि और विधायी कार्य	— "—		
आवास और पर्यावरण (पर्यावरण को छोड़कर)	— "—		
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	— "—		
बर्ग-3			
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	तकनीकी शिक्षा मंत्री		
उच्च शिक्षा	— "—		
संस्कृति	— "—		
जनसंपर्क	— "—	21 फरवरी, 2013	13 फरवरी, 2013
धार्मिक न्यास और धर्मस्व	— "—	01 मार्च, 2013	21 फरवरी, 2013
किसान कल्याण तथा कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री	08 मार्च, 2013	01 मार्च, 2013
राजस्व	राजस्व मंत्री	15 मार्च, 2013	08 मार्च, 2013
पुनर्वास	— "—	22 मार्च, 2013	15 मार्च, 2013
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री		
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री		
लोक सेवा प्रबंधन	राज्य मंत्री, लोक सेवा प्रबंधन		

(1)	(2)	(3)	(4)
बर्ग-4			
नगरीय प्रशासन एवं विकास	नगरीय प्रशासन मंत्री		
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	— " —		
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	उद्योग मंत्री		
सूचना प्रौद्योगिकी	— " —		
विज्ञान और टेक्नालॉजी	— " —	22 फरवरी, 2013	14 फरवरी, 2013
सार्वजनिक उपक्रम	— " —	04 मार्च, 2013	26 फरवरी, 2013
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	— " —	11 मार्च, 2013	04 मार्च, 2013
कुटीर एवं ग्रामोद्योग	— " —	18 मार्च, 2013	11 मार्च, 2013
जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी	— " —		
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री		
पर्यटन	पर्यटन मंत्री		
खेल एवं युवा कल्याण	— " —		
बर्ग-5			
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री		
सहकारिता	— " —		
आदिम जाति कल्याण	आदिम जाति कल्याण मंत्री		
अनुसूचित जाति कल्याण	— " —	26 फरवरी, 2013	18 फरवरी, 2013
पशुपालन	पशुपालन मंत्री	05 मार्च, 2013	26 फरवरी, 2013
मछलीपालन	— " —	12 मार्च, 2013	05 मार्च, 2013
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	— " —	19 मार्च, 2013	12 मार्च, 2013
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	— " —		
स्कूल शिक्षा	स्कूल शिक्षा मंत्री		
ऊर्जा	ऊर्जा मंत्री		
खनिज साधन	— " —		

भोपाल :
दिनांक : 15 जनवरी, 2013

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

- नोट.—** 1. विवरण के स्तम्भ (3) व (4) में उल्लिखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होगी।
2. प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त प्रारूप में ही भेजें।
3. प्रश्नों के उत्तर भेजने की अंतिम तिथि का कॉलम उपर्युक्त प्रश्नोत्तर के प्रारूप में दर्शित नहीं है, अतः इस विवरण के स्तम्भ-4 में दर्शाई गई उत्तर भेजने की अंतिम तिथि अनुसार ही कार्यालय समय में उत्तर अनिवार्यतः भेजे जावें।
4. निर्धारित दिनांक तक जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होंगे ऐसे प्रश्नों को टीप : “मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ” के साथ प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित करा दिया जायेगा।
5. प्रश्नों के उत्तर तीन प्रतियों में तथा यदि संलग्न परिशिष्ट तीन पृष्ठों से अधिक का हो तो पाँच प्रतियों में सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रामाणित कर भेजे जावें।
6. किसी प्रश्न के संबंध में स्पष्टीकरण / परिवर्तन / पुनर्विचार अथवा अन्य विभागों को हस्तांतरण अपरिहार्य हो तो ऐसे अनुरोध प्रश्न प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर भेजे जाने चाहिए। उत्तर भेजने की अंतिम तिथि में ऐसे अनुरोध विचारयोग्य नहीं होंगे।

प्र-1 अ 707/2013

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि :—

- (1) मुख्यमंत्री,
- (2) समस्त मंत्री, राज्य मंत्री,
- (3) मुख्य सचिव,
- (4) समस्त प्रमुख सचिव, तथा
- (5) शासन के समस्त विभागों,

को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।